प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1360/2006

दीनदयाल अग्रवाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1361/2006

भजनलाल अग्रवाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1362/2006

विजय कुमार अग्रवाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1363/2006

गोपाल दास अग्रवाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता, सभी याचिकाओं में याचिकाकर्तागण हेतु

श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, सभी याचिकाओं में राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु

श्री संजय पटेल, अधिवक्ता सभी याचिकाओं में उत्तरवादी क्रमांक 2 हेतु

मौखिक आदेश

(05.10.2006)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

(1) चूंकि उपरोक्त रिट याचिकाओं में विचारण हेतु समान प्रश्न उठाए गए हैं, अतः उन्हें इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

(2) उपरोक्त रिट याचिकाओं को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रायपुर के समक्ष लंबित भूमि अधिग्रहण प्रकरण क्रमांक 151-ए/82 वर्ष 1989-90 में एक समान

अधिनिर्णय दिनांक 5/8/1991 पारित कर याचिकाकर्तागण को कुछ राशि प्रदान की गई थी। चूंकि याचिकाकर्तागण ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कलेक्टर को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कलेक्टर द्वारा कुछ आधारों पर न्यायालय के निर्धारण के लिए मामले को संदर्भित करने की मांग की गई थी। इस पर, कलेक्टर द्वारा मामले को जिला न्यायालय को संदर्भित किया गया, जिस पर, 4 एम o जेo सीo क्रमांक 8/2005 (दीनदयाल अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ कोराज्य एवं एक अन्य), 9/2005 (गोपाल दास अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य), 10/2005 (भजनलाल अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य) और 7/2005 (विजय कुमार अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य) पंजीकृत किए गए और अंततः, सभी को अलग-अलग अधिनिर्णय क्रमशः दिनांक 10/5/2005, 12/5/2005, 12/5/2005 और 10/5/2005 के माध्यम से दशम् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा निर्णीत किया गया। उपर्युक्त अधिनिर्णयों द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्तागण को प्रदत्त क्षतिपूर्ति की मूल राशि में वृद्धि किया गया तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) के धारा-23 (1) (अ) और 23 (2) के अनुसार उनके पक्ष में ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। अधिनिर्णयों का प्रवर्तनशील भाग अर्थात् खंड 2, जो लगभग सभी मामलों में समान है, निम्न प्रकार उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "उपरोक्त मुआवजा के अतिरिक्त आवेदक भू-अर्जन के अनिवार्य स्वरूप को देखते हुए अधिनियम की धारा-23 (1) (अ) के तहत उक्त मूल्य के अतिरिक्त धारा-4 (1) की अधिसूचना प्रकाशन तिथि से एवार्ड तिथि तक 12% वार्षिक दर से तथा धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30% अतिरिक्त दर से अतिरिक्त राशि भी प्राप्त करेगा।"

(3) उपर्युक्त अधिनिर्णयों के पारित होने के उपरांत, उक्त मामलों को संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया एवं निष्पादन कार्यवाही में याचिकाकर्तागण/दावावली ने अपने पक्ष में पारित अधिनिर्णयों के संबंध में स्वयं द्वारा गणना प्रस्तुत की और उनके अनुसार प्रदत्त राशि के भुगतान की प्रार्थना की। याचिकाकर्तागण द्वारा उनके निष्पादन प्रकरणों में प्रस्तुत की गई उक्त गणनाओं का राज्य द्वारा विरोध किया गया। याचिकाकर्तागण का निष्पादन न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि धारा 23

(1-क) के अधीन अधिनिर्णयों के खंड 2 में जो ब्याज दिया गया है, वह उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना तिथि से अधिनिर्णयों के पारित होने की तिथि तक का ब्याज है, अर्थात् अधिनिर्णय तिथियों तक, जो अंततः उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित किया गया था और याचिकाकर्तागण धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना की तिथि से दिनांक 10/5/2005 और दिनांक 12/5/2005 तक यानी संबंधित अधिनिर्णयों की तिथि तक ब्याज पाने के हकदार थे, जो उनके पक्ष में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

(4) इस कथन का राज्य द्वारा विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि संदर्भ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई ब्याज प्रदान नहीं किया गया है तथा याचिकाकर्तागण अधिनिर्णयों के खंड 2 का गलत निर्वचन कर रहे हैं और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय की तिथि तक ब्याज देय होने का गलत दावा कर रहे हैं जबकि संदर्भ न्यायालय ने केवल उस तिथि तक ब्याज प्रदान किया है जो कि भू-अर्जन अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा पारित मूल अधिनिर्णय की तिथि है, न कि संदर्भ मामलों में पारित अधिनिर्णय की तिथि।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दिनांक 14.12.2005 को पारित आलोच्य आदेशों द्वारा निष्पादन न्यायालय ने राज्य द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को स्वीकार करते हुए यह निर्णीत किया गया कि धारा 23(1-क) के अधीन ब्याज प्रदान करने की शक्ति केवल कलेक्टर द्वारा पारित अधिनिर्णय की तिथि तक ही सीमित है, अतः दावेदारगण उस अवधि के बाद ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा निर्णय लेते हुए निष्पादन न्यायालय द्वारा याचिकाकर्तागण को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने निष्पादन प्रकरणों में नई गणना प्रस्तुत करें। निष्पादन न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2005 को पारित उक्त आदेशों के विरुद्ध ही याचिकाकर्तागण इन रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

(6) याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम की धारा 23 (1-क) में प्रयुक्त "अधिनिर्णय" शब्द का अर्थ संदर्भ न्यायालय द्वारा धारा 18 के अधीन पारित अंतिम अधिनिर्णय भी होना चाहिए, अतः निष्पादन न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाना कि दावेदारगण केवल कलेक्टर द्वारा पारित अधिनिर्णय की तिथि तक ही ब्याज हेतु योग्य हैं, न्यायोचित नहीं है। उनका यह भी तर्क

है कि यदि अधिनिर्णय की धारा 2 को सरल रूप में पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ न्यायालय ने ब्याज उस तिथि तक प्रदान किया है जिस दिन संदर्भ न्यायालय ने अधिनिर्णय पारित किया।

(7) इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध किया है।

(8) मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा रिट याचिकाओं के अभिलेखों का अवलोकन किया।

(9) जहां तक याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के प्रथम तर्क का सवाल है, इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 23 (1-क) के प्रावधानों का संदर्भ दिया जाना उचित होगा। धारा 23 (1-क) में यह प्रावधान है कि भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित है, न्यायालय प्रत्येक मामलों में ऐसे भूमि के संबंध में धारा 4 के उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलेक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या उस भूमि पर कब्ज़ा होने की तारीख तक की, इनमें से जो भी पहले हो, कालावधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा। इस उप-धारा (1-क) का धारा 23 की उप-धारा (1) और (2) के बीच रखा जाना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि किसी भूमि का बाजार मूल्य दावाकर्ता को अधिनिर्णय देने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर अथवा भू-अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारण किया गया है, तो यह अनिवार्य होगा कि वह अधिकारी इस उप-धारा में वर्णित गणना के अनुसार राशि का निर्धारण करेगा। जब यह उप-धारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि राशि की गणना धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलेक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या उस भूमि पर कब्ज़ा होने की तारीख तक की, इनमें से जो भी पहले हो, के परे इस आज्ञापक प्रावधान के अधीन ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

(10) धारा 23 (1-क) के अधीन निहित प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लंबन दौरान भूमि के मूल्य की वृद्धि का भूमिस्वामियों को उचित मुआवज़ा प्रदान किया जा सके। यह महँगाई के प्रभावों और संपत्तियों के मूल्य में निरंतर वृद्धि को संतुलित करने का एक उपाय है, क्योंकि विधानमंडल भूमि अधिग्रहण प्रकरणों के निपटारे में लगने वाले समय के कारण नियमित रूप

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए विधिक रूप से यह व्यवस्था की है। अधिनियम की धारा 23(1-क) में प्रयुक्त शब्द जैसे "कलेक्टर के अधिनिर्णय" को पृथक कर नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि इन शब्दों को परस्पर संदर्भ संयुक्त रूप से पढ़ा जाए, तो उनका स्पष्ट और असंदिग्ध अर्थ यह होगा कि भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त दावेदार को जो ब्याज दिया जाना है, वह धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलेक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या उस भूमि पर कब्ज़ा होने की तारीख तक की, इनमें से जो भी पहले हो, कालावधि के लिए होगा, उसके परे नहीं। अतः, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क स्वीकार योग्य नहीं होने से तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

(11) याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह दूसरा तर्क कि संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय के खंड 2 से यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ न्यायालय ने ब्याज उस तिथि तक प्रदान किया है जिस दिन उसने स्वयं अधिनिर्णय पारित किया, पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है। संदर्भ न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय की खंड 2 में प्रयुक्त शब्द सुस्पष्ट है। संदर्भ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्णीत किया है कि अधिनियम की धारा 23 (1-क) के प्रावधानों के अधीन, भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, याचिकाकर्तागण को धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना की तिथि से लेकर अधिनिर्णय की तिथि तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। संपूर्ण अधिनिर्णय एवं अंतर्निहित अन्य प्रावधानों के अवलोकन उपरांत यह धारा पूर्ण रूप से स्पष्ट और संदेह रहित है, जिसमें ब्याज केवल कलेक्टर द्वारा पारित अधिनिर्णय की तिथि तक ही देय बताया गया है। इसे इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि संदर्भ न्यायालय द्वारा स्वतः पारित निर्णय की तिथि तक ब्याज प्रदान किया है। अपितु, यह प्रतीत होता है कि वास्तव में धारा 23 (1-क) के अधीन जो ब्याज प्रदान किया गया है, वह कलेक्टर द्वारा पारित अधिनिर्णय की तिथि तक ही सीमित है, और इसमें प्रयुक्त “अधिनिर्णय” शब्द को केवल इस आधार पर कि उसमें "कलेक्टर द्वारा पारित" शब्द स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, यह नहीं माना जा सकता कि वह संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित “अधिनिर्णय” को संदर्भित करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) उपरोक्त कारणों से, मैं उपर्युक्त सभी रिट याचिकाओं में कोई सार नहीं पाता हूँ तदनुसार समस्त रिट याचिकाएं खारिज की जाती है।

(13) निष्पादन न्यायालय द्वारा संबंधित प्रकरणों में पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है।

(14) व्यय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षरित
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XI-HC-78

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1360/2006

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	13.10.2006 श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता हेतु। श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु। श्री संजय पटेल, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 हेतु। ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 05.10.2006 के कंडिका 10 की पंक्ति क्रमांक 2 और 4 में टाइपिंग संबंधी त्रुटि के कारण, "rice" शब्द टाइप हो गया है, जबकि इसे "rise" होना चाहिए था। तदनुसार इसे सही किया जाता है। आदेश के कंडिका 10 की पंक्ति क्रमांक 2 और 4 में आने वाले "rice" शब्द को "rise" पढ़ा जाएगा और इस सीमा तक टाइपिंग संबंधी त्रुटियों को सही किया जाता है, जिस पर उभय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। **हस्ताक्षरित/-** **सुनील कुमार सिन्हा** **न्यायाधीश**	13.10.2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Anusha Naik, Advocate